

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 425 ]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2015—आश्विन 29, शक 1937

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर 2015

क्र. एफ 5-17/2015/उन्तीस-1.—राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) के जी.एस.आर. 800 दिनांक 9 जून 1978, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अधिसूचना का.आ. 1373 (अ) दिनांक 29 अगस्त 2006, का.आ.2227(अ) दिनांक 27 सितम्बर 2011 एवं का.आ. 2857(अ) दिनांक 18 अक्टूबर 2015 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए "मध्यप्रदेश आवश्यक वस्तु व्यापारी (स्टॉक सीमा तथा जमाखोरी पर निर्बन्धन) आदेश, 2015" में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त आदेश में —

1. कण्डिका 2 (ग) के पश्चात् निम्न परिभाषा अंतः स्थापित किया जाए, अर्थात्;  
"(ग)(एक) 'थोक विक्रेता एवं फुटकर विक्रेता' से तात्पर्य है, ऐसे विक्रेता जिन्हें इस आदेश की अनुसूचित वस्तुओं के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत क्रमशः थोक एवं फुटकर अनुज्ञप्तियों जारी की गई हैं।"

2. कण्डिका 2 (च) के पश्चात् निम्न परिभाषा अंतः स्थापित किया जाए, अर्थात्;  
“(च)(एक) “दाल” से अभिप्रेत है, दली हुई उड़द, मूंग, अरहर(तुअर) तथा मसूर दालें (छिलका सहित अथवा छिलका रहित) बिना भूसा के तथा जिसके अंतर्गत बिना दला साबुत दाना भी शामिल है।
3. अनुसूची-‘दो’ के अंतर्गत शीर्षक ‘नगरों की श्रेणी’ के पश्चात् निम्न चिन्ह एवं शब्द जोड़ा जाए :  
“/ग्रामीण क्षेत्र”
4. अनुसूची-‘दो’ के अंतर्गत शीर्षक ‘स्टॉक सीमा क्विंटल में थोक व्यापारी’ शब्द के पश्चात् निम्न चिन्ह एवं शब्द जोड़ा जाए :  
“/कमीशन अभिकर्ता”
5. अनुसूची-‘दो’ में निम्नांकित शब्द एवं अभिव्यक्ति अंतः स्थापित किया जाए।

### “अनुसूची-दो(अ)

दाल के प्रसंस्करणकर्ता के लिए निर्धारित अधिकतम स्टॉक सीमा :-

- (i) साबूत दालों के संबंध में दिनांक 31.03.2015 को समाप्त होने वाले किन्हीं तीन वर्षों में से किसी वर्ष में उसके द्वारा उपयोग की गई दालों की अधिकतम मात्रा का बारहवां भाग,
- (ii) दली हुई दालों के संबंध में दिनांक 31.03.2015 को समाप्त होने वाले किन्हीं तीन वर्षों में से किसी वर्ष में उसके द्वारा उपयोग की गई दालों की अधिकतम मात्रा का चौबीसवां भाग;

परन्तु साबूत एवं दली हुई दाल का कुल स्टॉक किसी भी स्थिति में 4000 क्विंटल से अधिक नहीं होगा।”

6. प्ररूप ‘ब’ में उल्लेखित शब्द ‘थोक व्यापारी के हस्ताक्षर’ में से ‘थोक’ शब्द का लोप किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

बी.के. चन्देल, उप सचिव